FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी

..... बनाम .....

विषय मुकदमा ..... दावा ..... नं. 235 ..... सन् 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
23-12-21	इकबाई तारीख पेशी देने पर आज पेश हुई। वकलाय फरिकेन /पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2.3.22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
2-3-22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18-5-22 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
18.05.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण व पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादीगण व पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये। अतः वकील वादीगण व पक्षकारान् की अनुपस्थिति में स्वतः प्रकरण जारी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर) 18/05/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.20 11:09:00 IST
Reason: SelfAttested